छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक /700 /60 / विज्ञापन / 2014 रायपुर, दिनाँक 08.07.2016

—:: सूचना ::—

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विषयों के 966 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 11 / 2014 / परीक्षा / दिनाँक 05.09.2014 जारी कर रोजगार और नियोजन के अंक दिनाँक 10.09.2014 को प्रकाशित किया गया। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक5201 / 2014 एवं अन्य याचिका प्रकरणों में पारित अंतरिम आदेश दिनाँक 08.10.2014 एवं 10.10.2014 के पालन में कोरिजेन्डम दिनाँक 17.10.2014 जारी कर दिनाँक 19.11.2014 तक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था।

उपरोक्त जारी विज्ञापन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 1966 / 2016 डॉ. श्रीमती शमा अफरोज बेग विरूद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य तथा अन्य समान प्रकरणों में अंतरिम आदेश दिनाँक 19.05.2016 को पारित किया गया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदकों जिन्होंने पूर्व में उक्त विज्ञापन के तहत आवेदन किया है तथा वे यू.जी.सी. की अधिसूचना दिनाँक 04.05.2016 के अनुसार सहायक प्राध्यापक की अर्हता रखते हैं उन्हें भी उक्त विज्ञापन के तहत पात्र मानकर उनकी परीक्षा अलग से ली जावे।

यू.जी.सी. की उक्त अधिसूचना दिनाँक 04.05.2016 से प्रभावशील है जबकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का विज्ञापन 10.09.2014 को विज्ञापित किया गया था जिसके जारी कोरिजेन्डम दिनाँक 17.10.2014 में आवेदन की अंतिम तिथि दिनाँक 19.11.2014 थी। अतः यू.जी.सी. की अधिसूचना को उक्त विज्ञापन पर लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में शासन द्वारा एम.सी.सी. प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई, जो विचाराधीन है।

माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनाँक 19.05.2016 में यह निर्देश दिये हैं कि यू.जी.सी. की नई अधिसूचना दिनाँक 04.05.2016 के अनुसार जो सहायक प्राध्यापक के पद की अर्हता रखते हैं, उनकी परीक्षा ली जावे। यू.जी.सी. की उक्त अधिसूचना में सहायक प्राध्यापक की निर्धारित अर्हतायें निम्नानुसार हैं :—

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो,

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो,

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हो, जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो,

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों,

(ड.) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो,

उपर्युक्त (क) से (ड.) को कुलपति/सम-कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को दृष्टिगत रखते हुए आयोग में निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तथा यू.जी.सी. की अधिसूचना दिनॉक 04.05.2016 के अनुसार सहायक प्राध्यापक के लिए पात्र हो गए हैं उनकी परीक्षा ली जावे। अभिलेखों के सत्यापन हेतु विशेषज्ञ समिति गठित कर उन्हें पृथक से पत्र भेजा जाएगा, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे यू.जी.सी. की अधिसूचना के 05 (पांच) कंडिकाओं के अनुरूप पात्र हैं।

संबंधित आवेदकों के ऐसे प्रमाण पत्र की सम्यक जांच विभाग की विशेषज्ञ समिति द्वारा उनका परीक्षण किया जावेगा तथा पात्र आवेदकों की लिखित परीक्षा दिनॉक 28.09.2016 को रायपुर केन्द्र में ली जावेगी। उक्त परीक्षा में केवल वे अभ्यर्थी ही सम्मिलित किये जाएगें जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है तथा जिन्हें दिनांक 20 एवं 21 मई 2016 की परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी न किया गया हो तथा वह विशेषज्ञ समिति के मतानुसार यू.जी.सी. की अधिसूचना दिनांक 04/05/2016 के तहत् पात्र हो गये हैं।

उक्त परीक्षा तथा उसका परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न याचिका प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन होगा ।

सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर